

Q298

<http://labour.mp.gov.in/Default.aspx>

श्रम सेवा पोर्टल
श्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन

होम पेज | कौन कहीं | सामान्य प्रश्न | सहायता केंद्र

श्रमायुक्त कार्यालय | मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल | श्रम कल्याण मंडल | संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा | संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएँ

Welcome to E-Governance Portal of Madhya Pradesh Government, Labour Department

स्टार्ट-अप सेक्टर की इकाईयों को श्रम कानूनों के अंतर्गत आवश्यक सुविधाएँ दिए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश। **new**

श्रम विभागीय सेवाओं को मोबाइल एप- "एप- श्रम सेवा एप" के माध्यम से नागरिकों को आगामी गणतंत्र दिवस से उपलब्ध कराने विषयक। **new**

ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस (सिंगल विंडो) <ul style="list-style-type: none">प्रमुख श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियोंआवेदन शुल्क जमा करने की विधिस्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)	मज्ठीया वेतन बोर्ड की अनुशंसाएं <ul style="list-style-type: none">क्रियान्वयन की स्थितिमज्ठीया वेतन बोर्ड – मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय	ऑनलाइन सेवाएं <ul style="list-style-type: none">दुकान एवं अन्य वाणिज्यिक स्थापनाएँकारखाना अधिनियम अंतर्गत सेवाएँठेका श्रम अधिनियम अंतर्गत प्रमुख नियोजक show
---	--	--

http://labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

r.mp.gov.in/LabourC x Google x Google x Search x Search

labour.mp.gov.in/LabourCommissioner/StaticPages/Ease_of_Doing.aspx

(द) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996
(i) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत स्थापनाओं का पंजीयन

(इ) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979
(i) अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत प्रमुख नियोजक का पंजीयन एवं अनुज्ञप्ति

(फ) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
(i) मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961 स्थापना का पंजीयन

II. आवेदन शुल्क जमा करने की विधि

(i) साईबर ट्रेजरी के माध्यम से:- साईबर ट्रेजरी वेबसाईट पर जाये, 'Other Departments' बटन पर क्लिक करें एवं 'Departments' के अन्तर्गत 'Labour' का चयन करें। अन्य संबंधित जानकारी भरे! नेटबैंकिंग अथवा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से शुल्क जमा करें। ट्रेजरी वेबसाईट द्वारा जनित चालान को सेव कर उसका प्रिंट प्राप्त करें। अब, चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।
(ii) बैंक चालान के माध्यम से:- किसी भी भारतीय स्टेट बैंक शाखा में शुल्क जमा करे तथा चालान की विस्तृत जानकारी ऑन-लाईन फार्म में दर्ज कर चालान स्केन कर अप लोड करे।

III. स्व-प्रमाणीकरण योजना (VCS)

(i) स्व-प्रमाणीकरण योजना (मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना)
(ii) स्व-प्रमाणीकरण योजना में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र

IV. विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण

(i) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जांच सूची
(ii) श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप
(iii) श्रम आयुक्त द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों हेतु जारी किये गये नवीनतम दिशा निर्देश
(iv) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन के निरीक्षण संशोधन तथा संशोधन सहित नवीनीकरण के प्रकरणों के संबंध में स्थल निरीक्षण द्वारा भौतिक सत्यापन के संबंध में निर्देश।श
(v) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किये जाने वाले निरीक्षणों के संबंध में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय द्वारा जारी किए गये नवीनतम दिशा-निर्देश
(vi) कारखाना अधिनियम 1948 तथा मध्यप्रदेश कारखाना नियम 1962 के अंतर्गत तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन एवं निरीक्षण के प्रावधान।

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

apna_dube x @Gov.in x labour.mp.gov.in/Knowle x (46 unread) - sapna_dube x

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=81

pna... @Gov MAP_IT HRMS Google Chrome Imported From IE Motivational Semin... www.pmi.org/certifi... Watch the Online Vi... 18.08.15 Print

व्यवस्था कन्टोन एव झूला घर सबधी प्रावधानो को सुनिश्चित करवाया जाना ।

(vi) धारा 51 से 62 तक के प्रावधान जिसमें श्रमिको के कार्य के समय, भुगतान,ओवर टाइम एवं इनसे संबंधित रिकार्ड से संबंधित प्रावधानो का सुनिश्चित किया जाना ।

(vii) धारा 79 इसमे श्रमिको के सवैतनिक अवकाश (वार्षिक छुटियां) एवं संबंधित रिकार्ड प्रावधानो का पालन करवाया जाना ।

(viii) धारा 88 से 89 तक के प्रावधान जिसमें दुघटनाओ,आग एवं विस्फोट एवं व्यसायिक अन्य बीमारियो से संबंधित सूचनाओं संबंधी पालन सुनिश्चित किया जाना ।

(13) **वेतन भुगतान अधिनियम 1936 :-**

जिन श्रमिको का मासिक वेतन 18,000/- प्रतिमाह तक है के संबंध में अधिनियम कि धारा 5 एवं 9 के अनुसार श्रमिको को निर्धारित दिनांक तक बगैर अवैधानिक कटोत्रे के वेतन भुगतान करवाया जाना एवं उससे संबंधित रिकार्ड एवं पत्रक रखे जाना सुनिश्चित करवाया जाना ।

वेतन भुगतान नही किये जाने पर धारा (14) 4 के तहत वैधानिक आदेश देना एवं धारा 15 के अंतर्गत दावा प्रकरण तैयार करना ।

http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Form.aspx?id=88%20&Mode=Forms

(वेतन भुगतान अधिनियम 1936)

निरीक्षण दिनांक :-

- कारखाने का नाम एवं पता—
- कारखाना लायसेन्स क्रमांक—
- कारखाने के नियोजकगण—
 - 1
 - 2
 - 3
- स्थापित विद्युत पॉवर—
- श्रमिक नियोजित—

उपरोक्त कारखाना परिसर का निरीक्षण दिनांक — को वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित पाये गये:-

 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5

निरीक्षण विवरण/पंचनामा/रिपोर्ट/तैयार किया गया एवं निम्नलिखित उपस्थित व्यक्तियों के बयान लिये गये :-

 - 1
 - 2
 - 3

- निरीक्षण के समय जानकारी प्राप्त हुई कि नियोजकगणों द्वारा कारखाने में नियोजित (श्रमिकगणों) को माह— से — तक का वेतन भुगतान निर्धारित दिनांक तक नहीं किया गया है /वेतन से अवैधानिक कटौती किया गया है, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में किया गया है। यह वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा-5/9 का उल्लंघन है।
- निरीक्षण के समय नियोजकगणों /नियोजकगण प्रतिनिधि से श्रमिकों के वेतन भुगतान से संबंधित रजिस्टर/रिकार्ड/प्रपत्र/वेतन पर्चियों/मांगे गये जो निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये तथा निरीक्षण के समय कारखाने के नियोजकगणों एवं नियोजनों से संबंधित रिकार्ड/प्रपत्र/जानकारी निम्नानुसार मांगे गये जो प्रस्तुत नहीं किये गये:-
 - 1
 - 2


http://labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

Circular Details

labour.mp.gov.in/KnowledgeSharing/public/View_Circular.aspx?id=391

25 May 2016, 13:45:10 IST

Portal Home | Login |



Madhya Pradesh Labour Portal

Madhya Pradesh Government, Labour Department

Menu

Home |

Circular Details: Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17

Circular No :	1/17/IX/Enf/2016/7927-95	Circular Date :	10/03/2016
Circular Subject :	Guidelines regarding Inspection of establishments under different Labour Acts during 2016-17	Attached File :	Download Attachment View Attachment
Issued By :	Office of Labour Commissioner	For Whom :	Public

ILVCircular.aspx

1 / 3

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश
518 न्यू मोती बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर-452007
Phone: 0731-2432822, Fax: 0731-2536600

क्रमांक 1/17/नवम/प्रवर्तन/2016/ 7927-95 इन्दौर, दिनांक 10-3-16,
प्रति,

समस्त उप श्रम आयुक्त इन्दौर/भोपाल(म.प्र.)

समस्त संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक (म.प्र.)

समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (म.प्र.)

विषय- वर्ष 2016-17 के लिए श्रम अधिनियमों में निरीक्षणों के संबंध में दिशा-निर्देश।

श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षणों के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुक्रम में निरीक्षणों में पारदर्शिता बनाये रखने तथा सुस्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करने और ईज ऑफ ट्रेडिंग नियंत्रण को प्रबलित करने का दिनांक 2016-17 के लिए निरीक्षणों के